यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर के माह 03/2012 से 06/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25.07.2018 से 28.07.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>- I

1). परिचयात्मकः इकाई को आहरण वितरण अधिकार 02/2012 मे प्रदत्त किया जाने के उपरान्त यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2012 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई के अधीन कैरियर काउन्सलिंग, रोजगार मेले, स्वत: रोजगार, पंजीयन एवं विभागीय योजनायों के क्रियान्वयन हेतु नगर काशीपुर का समस्त भौगोलिक अधिकार क्षेत्र आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
		स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
1	2012-13	0.00	0.00	15.64	15.32	0.38	0.37	-	0.33
2	2013-14	0.00	0.00	11.60	10.66	3.53	3.28	-	1.19
3	2014-15	0.00	0.00	15.23	13.82	4.27	4.16	-	1.52
4	2015-16	0.00	0.00	22.12	15.32	4.89	4.85	-	6.84
5	2016-17	0.00	0.00	25.19	16.58	4.24	4.13	-	8.72
6	2017-18	0.00	0.00	19.01	18.90	6.43	6.28	-	0.26
7	2018-19	0.00	0.00	11.63	7.27	6.60	2.03	-	-

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, सेवायोजन, उत्तराखंड, देहरादून
b). निदेशक, सेवायोजन, हल्द्वानी
c). उप निदेशक, सेवायोजन, हल्द्वानी
d). क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, अल्मोड़ा
d). नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03/2012 से 06/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय, नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2014 05/2018 एवं 03/2014 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:1- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप रु 1,64,268/- का अधिक भुगतान का प्रकरण।

उत्तराखण्ड शासन, वित्त के पत्रांक 395/XXVII/(7)/2008, दिनांक 17.10.2018 के अनुसार वेतन बैंड में वेतन अनुमन्य ग्रेड पे जोड़ कर इसके 3 प्रतिशत की धनराशि को 10 के अगले गुणांक में पूर्णांकित किया जाएगा । इस धनराशि को वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ दिया जाएगा । इसके बाद वेतन में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड पे में वेतन प्रदान किया जाएगा। तथा 170/XXX(2)/2010 दिनांक 01.06.2010 के अनुसार प्रवर सहायक हेतु " मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक जिनहोने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप मे न्यनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो मे से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाएगी।"

कार्यालय मे कार्यरत कर्मचारी श्री पाकेश सिंह, वरिष्ठ सहायक की सेवा पुस्तिका तथा उपलब्ध कराये गए अभिलेखो की जांच मे पाया गया, कि उक्त कर्मचारी की नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत समूह-ग वर्ग मे कार्यालय नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी मे दिनांक 03.07.2009 को कनिष्ठ सहायक पद पर वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे- 1900/- पर किया गया तथा शासनादेश 41/xxvii(7) सी॰ भर्ती॰/2009 के अनुसार वेतन निर्धारण 7730/- (ग्रेड पे-1900/-) पर किया गया। वार्षिक वेतनवृधि 1.7.10 को 7970/-, 1.07.11 को 8210/- तथा 1.07.12 को 8460/- प्राप्त किया गया। लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधित होने के कारण उक्त कर्मचारी का ग्रेड पे- 1900/- के स्थान पर 2000/- किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2013 को पुनः वेतन निर्धारण 8560/- (वेतन 6560 ग्रेड-पे 2000) किया गया।

आगे जांच मे पाया गया कि निदेशालय के पत्रांक 8335-43/डीटीइयू/स्था॰री/51/2013, दिनांक 26.12.13 द्वारा उक्त कर्मचारी को शिथलीकरण का लाभ (वर्ष 2015 मे देय पदोन्नति हेतु- 2 वर्ष शीथलिकरण लाभ) अनुमान्य करते हुये वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-2800/- मे वरिष्ठ सहायक पद पर कार्यालय नगर सेवायोजन काशीपुर हेतु पदोन्नत किया गया। जांच मे पाया गया कि उक्त कर्मचारी का वेतन निर्धारण 26.12.2013 को 9890/-(7090+2800-GP) के स्थान पर 11,360/- (8560+2800-GP) पर किया गया जो कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन है। सेवापुस्तिका के अनुसार उक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 03.01.2014 को कार्यालय नगर सेवायोजन काशीपुर मे प्रवर सहायक(वरिष्ठ सहायक) पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। जिस कारण उक्त कर्मचारी को रु 1,64,268/- का अधिक भुगतान (विवरण संलग्न) किया गया।

अतः उक्त कर्मचारी को 07/2009 को सीधी भर्ती के तहत वेतन बैंड एवं ग्रेड पे आधार पर वेतन निर्धारित किए जाने के उपरान्त 1/2013 को पदोन्नति/शिथलीकरण लाभ दिये जाने पर दुबारा सीधी भर्ती के लाभ प्रदान कर पुनः वेतन निर्धारित किया गया जो की छठे वेतन आयोग के निर्देशों का उलंघन दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है कि भविष्य के लिए नोट किया जाता है कि संबन्धित प्रकरण की कोषागार के माध्यम से पुनः समीक्षा कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नही पाये जाने के कारण मान्य नही है तथा प्रकरण पुन: समीक्षा हेतु संज्ञान मे लाया जाता है।

अतः गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप रु 1,65,975/- का अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:2- प्रयुक्त धनराशि रु 3.63 लाख का अभिलेखों का रखरखाव अनुपलब्ध पाया जाना ।

As per Rules (Receipts & Payments) 1983- Every Government servant who draws money for disbursement on bills from the treasury is a disbursing officer, the DDOs permitted to draw funds directly from the local branches of the Bank by means of cheque under departmentalized system of payment.

कार्यालय नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर की बजट पत्रावली की लेखापरीक्षा में जांच के दौरान जिला योजना के अंतर्गत कैरियर काउन्सलिंग कक्ष तथा नगर के विभिन्न संस्थानों में कैरियर काउन्सलिन्ग व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आबंटित बजट विवरण निम्नवत पाया गया -

(रु लाख में)

प्रयोजन	2015 - 16		2017 - 18	
	आवंटन	प्रयुक्त	आवंटन	प्रयुक्त
नगर सेवायोजन कार्यालय काशीपुर के कैरियर काउन्सलिंग कक्ष का निर्माण	2.63	2.63		
नगर सेवायोजन कार्यालय काशीपुर के कैरियर काउन्सलिंग हेतु			1.00	1.00

अभिलेखों की जांच में आगे पाया गया कि नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर को 'आहरण - वितरण का अधिकार वर्ष 2012 में शासन द्वारा प्रदत्त किया गया, परंतु वर्ष 2015-16 तथा 2017-18 में उक्त धनराशि का आबंटन नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर को करने के बावजूद धनराशि का उपभोग जिला सेवायोजन अधिकारी रुद्रपुर द्वारा किया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि बजट आबंटन की प्रति जिला सेवायोजन अधिकारी, रुद्रपुर को जारी की गई थी, परंतु जारी आदेश में नगर सेवायोजन कार्यालय , काशीपुर की जो धनराशि आबंटित थी उसको हस्तांतरण इस कार्यालय में नहीं की गई। कैरियर काउन्सलिंग का कार्य स्थानीय स्तर पर स्वयं के वाहन से संपादित किया गया जिसके लिए ईंधन व्यय की प्रतिपूर्ति शासकीय बजट से पूरी नहीं हुई।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, जब नगर सेवायोजन अधिकारी को आहरण- वितरण का अधिकार 2012 में प्रदत की गई तो इसके पश्चात उक्त इकाई के लिए आबंटित बजट का उपभोग जिला सेवायोजन अधिकारी, रुद्रपुर द्वारा निर्णय किया गया तो इस आशय की सूचना उच्चाधिकारी को प्रेषित करना चाहिए था, फलतः बजट आवंटन के बावजूद स्वयं के व्यय से कैरियर काउन्सलिंग तथा बजट से प्रतिपूर्ति नहीं किया जाना तंत्र की उदासीनता प्रतीत होती है ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- सेवायोजन अधिनियम तथा कौशल विकास दिशानिर्देश का परिपालन सुनिश्चित नहीं कराये जाने का प्रकरण पाया जाना।

(क) निदेशक सेवायोजन उत्तराखंड देहारादून के पत्रांक 228-29/डीटीईयू/सेवा/डाटा/ऑडिट/2018 दिनांक 04 मई, 2018 द्वारा बिन्दु सं-05 के अंतर्गत मिशन में वर्णित पाया गया कि Compulsory Notification of Vacancies(CNV) Act 1959 (The employer is every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishment in private sector shall furnish such information or return as may be prescribed in relation to vacancies that have occurred or are about to occur is that establishment to such employment exchanges as may be prescribed, and the employer shall there upon comply with such requisition) का क्रियान्वयन करना एवं एक्ट के अंतर्गत प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष पंजीकृत अभ्यर्थिओं के नामों का सम्प्रेषण करना मिशन का कार्य है ।

परंतु कार्यालय नगर सेवायोजन अधिकारी काशीपुर की लेखापरीक्षा में इकाई की कोई कार्य योजना समयबद्ध नहीं पायी गई जिसके अंतर्गत तहसील स्तर के सेवायोजकों के अभिलेखों का निरीक्षण तथा अधिनियम से संबन्धित धाराओं से परिचित कराने का प्रावधान था । अधिनियम के परिपालन में तहसील क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी/क्षेत्र में सृजित भर्तियों की नोटिफ़िकेशन की सूचना सेवायोजन कार्यालय द्वारा सेवायोजकों से सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा था ।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि उत्तराखंड शासन द्वारा ऐसा कोई नियमावली इस कार्यालय को प्रेषित नहीं है जिसके तहत CNV Act के परिपालन हेतु डिफ़ाल्टर फ़र्म एवं कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति सेवायोजन अधिकारी को प्रदत की गई हो ।

(ख) उत्तराखंड शासन श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग सं/VIII/15-10(सेवा)/2015 देहारादून दिनांक 19 मई,2015 के अनुसार कौशल विकास कार्यकर्मों के निरीक्षण एवं निगरानी हेतु नोडल अधिकारी के अधीन सभी जिलों के सेवायोजन अधिकारियों को मॉनिटरिंग/पर्येवेक्षण का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया गया।

कौशल विकास मिशन द्वारा कौशल विकास हेतु युवाओं को जनपदवार अवसर प्रदान करने के लिए जनपद में स्थित विभिन्न प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर द्वारा अलग-अलग संचालित कोर्स में युवाओं को स्किलड़ कर रोजगार के अनुरूप तैयार करने का प्रविधान है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें प्रतिपूर्ति की जा रही है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जनपद उधमसिंह नगर में 17 प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर पाये गए जिसके द्वारा योजना के तहत युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था परंतु इस संबंध में इकाई द्वारा लेखापरीक्षा में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया की लेखा परीक्षा में उल्लेखित आदेश की प्रति इस कार्यालय को कौशल विकास समिति द्वारा उपलब्ध न कराय जाने के कारण तथा इस संबंध में किसी तरह की आदेश प्रति जारी न होने के कारण अपेक्षित अनुपालन ही कार्यवाही नगर सेवायोजन कार्यालय, काशीपुर द्वारा नहीं की जा सकी।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, जिस उद्देशय के लिए कार्यालय का संचालन के लिए शासकीय व्यय किया जा रहा है, उसे पूरा किए जाने के लिए समन्वय किया जाना चाहिए था तथा डिफ़ाल्टर कंपनी को चिन्हित कर शासन की जानकारी में लाया जाना चाहिए था तथा एक्ट के अनुपालन हेतु मैकानिज्म विकसित करने के लिए विभागीय प्रयास की कमी पायी गई ।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
---------शून्य--------				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
---------शून्य--------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री टी॰ एस॰ सौंटियाल	नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर	7/2010 से 5/2018 तक
श्री नारायण सिंह दरम्वाल	नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर	06/2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.